न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय) अलवर (राज0)

अपील संख्या	रजि0 न0	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
11/10/2021	2021/54	04.03.2021	22.08.2022

1. गंगा लहरी पुत्र स्व0 श्री प्रभातीलाल , जाति नाई, निवासी बिणजारी, तहसील रैणी, जिला अलवर (राज0)।

अपीलाण्ट

बनाम

1. तहसीलदार रैणी, तहसील रैणी, जिला अलवर।

रेस्पोडेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू0 राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध आदेश तहसीलदार राजगढं दिनांक 11.12.2004 नामान्तकरण संख्या 293 वाके ग्राम बिणजारी तहसील राजगढ

उपस्थितः—

01. श्री जगदीश प्रसादी शर्मा — वकील अपीलाण्ट
02. राजकीय अभिभाषक — रेस्पोडेन्ट

—:: निर्णय ::—

अपीलान्ट ने यह अपील तहसीलदार राजगढ के निर्णय दिनांक 11.12.2004 नामान्तकरण संख्या 293 वाके ग्राम बिणजारी तहसील राजगढ जिसके द्वारा नामान्तकरण विरासत का स्वीकार किया गया है, से व्यथित होकर पेश की है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पौ0 को जरिये नोटिस तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट जरिये राजकीय अभिभाषक उपस्थित। तहत अदालत का रिकॉर्ड तलब किया गया। उभय पक्ष की बहस सुनी गई। विद्वान वकील अपीलान्ट ने अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया है कि तहत अदालत द्वारा पारित आदेश दिनांक 11.12.2004 नामान्तकरण विरासत संख्या 293 वाके ग्राम बिणजारी तहसील राजगढ जिला अलवर की अपीलान्ट को कोई जानकारी नहीं थी क्योंकि उक्त आज्ञा रेस्पाडेन्ट द्वारा मिन अपीलान्ट की गैरहाजरी व मौजूदगी में बिना कोई नोटिस जारी किए प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतो के विपरीत पीडित पक्षकार को बिना सुने व साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर दिए घरवालों के बताये अनुसार पारित की गई। इसीलिए अपील समय अवधि में पेश नहीं की जा सकी जिसमें मि अपीलान्ट की कोई लापरवाही व बदयान्ती नही है। तहसीलदार राजगढ की उक्त आज्ञा दिनांक 11.12.2004 नामान्तकरण विरासत संख्या 293 ग्राम बिणजारी की सर्वप्रथम जानकारी मिन अपीलान्ट को दिनांक 08.02.2021 को हुई। जब पटवारी हल्का ने मिन अपीलान्ट को मेरे पिता प्रभाती की विरासत से प्राप्त आराजी के

अतिरिक्त जिला कलक्टर
(द्वितीय) अलवर (राज0)

राजस्व रिकॉर्ड की नकल लेने जाने पर मौखिक रूप से उक्त आज्ञा की जानकारी दी। बाद जानकारी आलौच्य आज्ञा की नकल के लिए दिनांक 08.02.2021 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत को किया जो नकल दिनांक 08.02.2021 तैयार होकर सांयकाल प्राप्त हुई। दिनांक 09.02.2021 को नकल वकील साहब को दिखाकर कानूनी राय ली गई तो वकील साहव ने अविलम्ब अपील न्यायालय श्रीमान में पेश करने की कानूनी राय दी इसके वाद दिनांक 10.02.2021 से अपील तैयार कराई जाकर अन्दर मियाद प्रस्तुत की जा रही है। आज्ञा दिनांक 11.12.2004 से सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 08.02.2021 व आज तक का समय मिन अपीलान्ट की जानकारी के अभाव में लाइल्मी होने के कारण मियाद में मुजरा दिए जाने योग्य है। इसीलिए मियाद बिन्दु पर नरम रूख अपनाया जाकर पेशकर्दा अपील अपीलान्ट न्यायहित में सर्वप्रथम जानकारी की दिनांक 08.02.2021 से अन्दर मियाद ग्रहण किया जाना अतिआवश्यक है। जिसके लिए प्रार्थना पत्र दफा 05 परिसीमा अधिनियम 1963 मय हल्फनामा अलग से अदालत में पेश किया जा रहा है। आराजी हाल खसरा न0 763 रकबा 0.70 है0, 764 रकबा 0.70 है0 कुल किता 02 रकबा 1.40 है0 वाके ग्राम बिणजारी तहसील राजगढ जिला अलवर राजस्थान में स्थित है। आराजी मिन अपीलान्ट के पिता श्री प्रभाती पुत्र छोटा जाति नाई निवासी बिणजारी तहसील राजगढ की कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी थी। मिन अपीलान्ट के पिता प्रभाती का स्वर्गवास हो गया जिनकी विरासत का आलौच्य नामान्तकरण संख्या 293 दिनांक 11.12.2004 को तहसीलदार राजगढ रेस्पोडेन्ट द्वारा दर्ज व तस्दीक किया गया है। जो काबिल गौर अदालत श्रीमान है। मिन अपीलान्ट का वास्तविक नाम गंगा लहरी पुत्र स्व0 श्री प्रभाती लाल जाति नाई निवासी बिणजारी तहसील राजगढ है तथा मिन अपीलान्ट के पहचान संबंधी समस्त दस्तावेज यथा परिवार राशन कार्ड, आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र आदि में भी अपीलान्ट का नाम गंगा लहरी है। रेस्पोडेन्ट द्वारा बिना वारिसान के सही नाम की जांच किए घरवालों के बताये अनुसार मिन अपीलान्ट का नाम डालचन्द कर दिया गया, जो कानूनन गलत है। इसलिए अपीलाधीन आज्ञा को संशोधित कर उसमें दर्ज अपीलान्ट का नाम डालचन्द को कलमजन कर उसके स्थान पर मिन अपीलान्ट का वास्तविक नाम गंगा लहरी दर्ज किया जाना न्यायहित में अतिआवश्यक है। अपीलाधीन आज्ञा के कायम रहने से अपीलान्ट के अधिकारों पर विपरीत असर पडता है और अपीलान्ट को उक्त आराजी पर ऋण व पट्टा आदि जारी कराने में परेशानियों का सामना करना पड रहा है। इसीलिए अपील पेश करना अतिआवश्यक हो गया है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर आलौच्य आज्ञा तहसीलदार राजगढ दिनांक 11.12.2004 नामान्तकरण विरासत संख्या 293 ग्राम बिणजारी तहसील राजगढ को निरस्त फरमावें।

सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र दफा 05 परिसीमा अधिनियम 1963 पर विचार किया। माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर द्वारा भी विभिन्न दृष्टान्तों में मियाद के बिन्दु पर नरमी का रूख अपनाने का सिद्धान्त प्रतिपादित किया हुआ है। अतः नरमी का रूख अपनाते हुए विलम्ब को माफ कर अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

पत्रावली का अवलोकन किया। वकील अपीलान्ट की बहस व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का चिन्तन–मनन करने पर जाहिर होता है कि रेस्पोडेन्ट के द्वारा दिनांक 11.12.2004 को नामान्तकरण संख्या 293 स्वीकार करते समय सहवन से अपीलान्ट का नाम डालचन्द दर्ज कर दिया गया है जबकि दस्तावेजी साक्ष्य आधार कार्ड, राशन कार्ड, बडौदा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की पासबुक में अपीलान्ट का नाम गंगालहरी पुत्र प्रभातीलाल अंकित है। उक्त दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 11.12.2004 से स्वीकार किए गए नामान्तकरण संख्या 293 को दुरूस्त किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। पत्रावली पर आए तथ्यों के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार किए जाने योग्य है।

अतिरिक्त कलक्टर
(द्वितीय) अलवर (राज०)

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार कर तहसीलदार राजगढ द्वारा पारित निर्णय दिनांक 11.12.2004 नामान्तकरण संख्या 293 वाके ग्राम बिणजारी तहसील राजगढ निरस्त किया जाता है। प्रकरण इस निर्देश के साथ तहसीलदार राजगढ हाल तहसील रैणी को प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रश्नगत नामान्तकरण संख्या 293 वाके ग्राम बिणजारी तहसील राजगढ के संदर्भ में वारिसान की जांच कर एवं संबंधित पक्षकारान को साक्ष्य व सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर विधिसम्मत निर्णय पारित करें। निर्णय की प्रमाणित प्रति तहत अदालत को तहत रिकार्ड के साथ भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तामील तकमील लेख भण्डार हो।

निर्णय आज दिनांक 22.08.2022 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

22/08/2022

(वंदना खोरवाल)
अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय)
अलवर (राज0)